निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 06(04)/163/ 30900-05 /2016–17 दिनांकः 06 जनवरी 2017

विषयः– **प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान एंव अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम–2006 के अन्तर्गत विनियम–2009 के अध्याय–दो के कतिपय प्रस्तरों में आशिंक संशोधन विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–1921/XXIV–4/2017–1(1)/2016 दिनांक 04 जनवरी 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान एंव अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम–2006 के अन्तर्गत विनियम–2009 के अध्याय–दो के कतिपय प्रस्तरों में आशिंक संशोधन किया गया है।

अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 04.01.2017 की प्रति विद्यालयी शिक्षा की बेबसाइट-www.school education.uk.gov.in पर उपलब्ध है तथापि एक प्रति आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि संशोधित विनियम–2016 के अनुसार तत्काल नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्त अधीनस्थ अधिकारी एंव अशासकीय मान्यता/सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को भी तद्नुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय
06.1.2017
(आर0के0कुंवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0स0– 06(4)/163/ 30900-05 /2016–17 दिनांक–उक्तवत्
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन ।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेडा, देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल/कुमायूं मण्डल नैनीताल, अपने स्तर से भी जनपदों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
5. प्रभारी, एम0आई0एस0 विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेडा, देहरादून को इससे कि उक्त अधिसूचना को schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

06.1.2017
(आर0के0कुंवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4
संख्या– XXIV–4/2017–1(1)2016,
देहरादूनः दिनांक ०५ जनवरी, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में संस्था प्रधान एवं अध्यापकों की नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम–2006 के अधीन प्रख्यापित विनियम–2009 के अध्याय–दो में आंशिक संशोधन किये जाने विषयक आपके पत्र संख्या–06(4)/163/24040/2016–17 दिनांक 3 नवम्बर, 2016 के क्रम में श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम–2006 के अधीन प्रख्यापित विनियम–2009 के अध्याय–दो प्रस्तर–5, 10, 17 एवं परिशिष्ट–घ में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. प्रस्तर–5 (2)(ख) में शब्दावली एल0टी0 श्रेणी को विलोपित समझा जाय।
2. प्रस्तर–5(2) (ग)(2) के नीचे प्रस्तर–5(3) निम्नवत् सम्मिलित पढ़ा जाय–
   "5(3) संस्था में कार्मिकों के पदों को भरे जाने हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा आरक्षण हेतु निर्गत शासनादेशों के अनुसार ही पदों को आरक्षित किया जाएगा"।
3. विनियम के प्रस्तर–10(क) के अन्त में टिप्पणी के आगे निम्न परन्तुक पढ़ा जाय।
   "अनुमति देने से पूर्व छात्र/शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार सृजित पदों का पुनर्निधारण कर लिया जाएगा, तद्नुसार यदि पदों की आवश्यकता है, तो प्रथमतः पद सृजन का आदेश प्राप्त कर लिया जाएगा।
4. प्रस्तर–10(घ) में जहां–जहां पर "जिला शिक्षा अधिकारी" वहॉ पर जिला शिक्षा अधिकारी के स्थान पर "मुख्य शिक्षा अधिकारी" पढ़ा जाय, परन्तु प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाईस्कूल के सन्दर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) पढ़ा जाय।
5. मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए संख्या अधिकतम 7(सात) होगी, परन्तु अन्तिम सातवें अभ्यर्थी के गुण विषयक अंक के समान अंक होने पर उतने अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जा सकेगा। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चयन के लिए साक्षात्कार की सूचना इन सभी

माध्यमों रजिस्टर्ड डाक, ई–मेल, एस0एम0एस0 एवं वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा, तद्नुसार प्रस्तर–10(घ) एवं 18 (क)को संशोधित समझा जाय।

6. अभ्यर्थी के चयन की सूचना चयनित अभ्यर्थी निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं मण्डलीय अपर निदेशक को इन सभी माध्यमों, रजिस्टर्ड डाक, ई–मेल, एस0एम0एस0 एवं वेब–साइट पर उपलब्ध करायी जाएगी। तद्नुसार प्रस्तर–10(घ), 17(घ) एवं 19 (1)को संशोधित समझा जाय।

7. परन्तु मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकों के चयन के लिए पदों का विज्ञापन प्रकाशित करने के तीन माह के भीतर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। यदि चयन की कार्यवाही पूर्ण न की जा सके तो पदों का पुनः विज्ञापन किया जाएगा। तद्नुसार 10(घ) के अन्त में यह परन्तुक पढ़ा जाय।

8. **विनियम के अध्याय–2 के अन्त में परिशिष्ट–घ गुण विषयक अंकों का आंगणन निम्नवत् किया जाएगाः–**

(A) हाईस्कूल/इण्टर संस्था के प्रधान के लिए गुण विषयक अंक

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक	80
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिए जाने वाले अधिकतम अंक	10
कुल अंक	90

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र–

स्नातक	–	प्राप्तकों का प्रतिशत X 2 / 10
स्नातकोत्तर	–	प्राप्तकों का प्रतिशत X 2 / 10
बी0एड0	–	प्राप्तकों का प्रतिशत X 3 / 10
पी0एच0डी0/डी0लिट0	–	05
एम0एड0	–	05
अधिकतम	–	80

(B) इण्टरमीडिएट शिक्षकों के लिए गुण विषयक अंक–

–तदैव–

(C) हाईस्कूल के अध्यापकों के लिए गुण विषयक अंक–

शैक्षिक उपलब्धि के आधार अधिकतम गुण विषयक अंक	80

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिए जाने वाले अधिकतम अंक 10

कुल अंक 90

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र

बी०एड० – $\frac{\text{प्राप्तकों का प्रतिशत X 2}}{10}$

सी०टी०ई०टी० / यू०टी०ई०टी०–II – $\frac{\text{प्राप्तकों का प्रतिशत X 6}}{10}$

(D) मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) के प्रधानाध्यापक व प्राथमिक विद्याल के प्रधानाध्यापक के लिए गुण विषयक अंक–

–तदैव–

(E) मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) के सहायक अध्यापक व प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राइमरी के सहायक अध्यापकों के लिए गुण विषयक अंक–

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक 80

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिए जाने वाले अधिकतम अंक 10

कुल अंक 90

शैक्षिक आधार पर गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र–

प्रशिक्षण – $\frac{\text{प्राप्ताकों का प्रतिशत X 2}}{10}$

सी०टी०ई०टी० / यू०टी०ई०टी०–I अथवा II, जो लागू हो–

$\frac{\text{प्राप्तकों का प्रतिशत X 6}}{10}$

परिशिष्ट–घ गुण विषयक अंकों का आंगणन करते समय परिशिष्ट–घ में उल्लिखित बिन्दु–1 से 6 तथा अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप विलोपित किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार विनियम के अध्याय–दो के परिशिष्ट–घ को तद्नुसार संशोधित समझा जाय।

(डॉ०रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1921/(1)1(1) 2017/XXIV–4/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी को अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक/सभापति, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. अपर शिक्षा निदेशक/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की 300 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।